संख्या-874/18-4-2025

प्रेषक,

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3-समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 03 दिसम्बर, ~~नवम्बर~~,2025

विषय: ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग सहायता योजना आरंभ किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश से होने वाले उद्योग, व्यापार व निर्यात को प्रोत्साहित करने, लॉजिस्टिक नेटवर्क के विस्तार, एक जनपद एक उत्पाद सहित प्रदेश में विनिर्मित विशिष्ट उत्पादों को व्यापक वैश्विक प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल मार्केटप्लेस से जोड़ते हुए अधिक प्रतिस्पर्धी बनाये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-684/ 18-4-2025/18-4099/31/2025 दिनाँक 03 सितम्बर,2025 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 में उल्लिखित दिशा निर्देशों के क्रम में प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों को ई-कॉमर्स प्लेटफार्म्स पर ऑनबोर्डिंग हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु "ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग सहायता योजना" निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रारम्भ किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

योजनान्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 द्वारा समय-समय पर परिभाषित उत्तर प्रदेश की समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी की ऐसी निर्यातक इकाईयों को निम्नानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, जो कार्य सम्पादन के समय निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद में पंजीकृत होंगे:-

(1)- निर्यातक इकाई द्वारा अंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रथम वर्ष की ऑनबोर्डिंग हेतु किए गए व्यय का 75 प्रतिशत एकमुश्त प्रतिपूर्ति (reimbursement) के रूप में प्रदान किया जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा ₹3,00,000 (तीन लाख रुपये) प्रति निर्यातक इकाई प्रति वर्ष होगी।

(2)- यह सहायता केवल प्रथम वर्ष के ऑनबोर्डिंग हेतु लागू होगी। प्रथम वर्ष के बाद नवीनीकरण या आवर्ती शुल्कों हेतु यह सुविया अनुमन्य नहीं होगी।

(3)- उक्त सहायता केवल एक ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर ऑनबोर्डिंग हेतु ही देय होगी।

(4)- निर्यातक इकाई द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर ऑनबोर्डिंग वर्ष में संदर्भित प्लेटफार्म के माध्यम से कम से कम एक एक्सपोर्ट कन्साइनमेंट भेजा गया हो।

(5)- योजनान्तर्गत प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करते समय ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर ऑनबोर्डिंग हेतु ही सहायता अनुमन्य होगी, जोकि विदेश में व्यापारिक लेन-देन की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ नियमानुसार अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराता हो तथा योजनान्तर्गत प्राधिकृत समिति द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो।

2. आवेदन की प्रक्रिया-

(1) निर्यातक इकाईयों द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर ऑनबोर्ड किये जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक संदर्भित प्लेटफार्म पर सक्रिय रहना अनिवार्य होगा। उक्त एक वर्ष की अवधि के पूर्ण होने के उपरांत 90 दिवस की अवधि में दावा निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के पोर्टल पर आवेदन फाइल करना होगा।

(2) निर्यातक इकाई द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय अपने दावे के साथ समस्त वांछित अभिलेखों की प्रतियां अपलोड की जानी होंगी।

(3) इकाई द्वारा आवेदन की तिथि से 15 दिवस की अवधि तक आवेदन पत्र में हुई त्रुटियां स्वयं संशोधित की जा सकेंगी।

(4) उक्त 15 दिवस की अवधि के उपरान्त दावा निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ०प्र० लखनऊ के पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगेगा।

(5) दावे के निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के पोर्टल पर प्रदर्शित होने पर परीक्षणोपरान्त पूर्ण पाये गये दावे एजेंडा में सम्मिलित किये जायेंगे तथा अपूर्ण पाये गये दावों की स्थिति में पोर्टल पर ही अपूर्णता का विवरण ऑनलाईन अंकित करते हुए निर्यातक इकाई को वापस (Revert) कर दिये जायेगे।

(6) सम्बन्धित निर्यातक इकाई द्वारा अपूर्ण पाये गये दावों से सम्बन्धित कमियो का निवारण करते हुए अधिकतम 15 दिवसों के अन्दर सुसंगत अभिलेखो को अपलोड करना होगा। निर्यातक इकाईयों के स्तर पर वांछित कार्यवाही उक्त अवधि में पूर्ण न किये जाने की स्थिति में दावा स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(7) अपूर्ण पाये गये दावों की स्थिति में, निर्यातक इकाई द्वारा अपूर्णता का निवारण करते हुए दावे से सम्बन्धित सुसंगत अभिलेख अपलोड किये जाने की स्थिति में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा पुनः परीक्षणोपरान्त दावा एजेंडा में सम्मिलित किया जायेगा।

3- निर्यातक इकाईयों द्वारा दावों को ऑनलाइन फाइल किये जाने की प्रक्रिया, दावों के परीक्षण करने हेतु निर्यातक इकाई द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अभिलेखों का निर्धारण, उनमें संशोधन तथा योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों/आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने का अधिकार निम्नानुसार गठित प्राधिकृत समिति में निहित होगा:-

1	अपर आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2	वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश	सदस्य
3	प्रतिनिधि, क्षेत्रीय विदेश व्यापार महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश	सदस्य
4	प्रतिनिधि/राज्य नोडल अधिकारी, ओपेन डिजिटल व्यापार नेटवर्क (ONDC) सदस्य	सदस्य
5	उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्सहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र	सदस्य
6	अपर/संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव

4. योजनान्तर्गत निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को प्राप्त होने वाले समस्त दावे स्वीकृति हेतु उक्तानुसार गठित प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगे। योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों की स्वीकृति प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर की जायेगी तथा बजट उपलब्धता के आधार पर आर्थिक सहायता का अंतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाले दावों का भुगतान उपलब्ध बजट की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। अवशेष दावों को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत किये जाने के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिए जाने के अधिकार प्राधिकृत समिति में निहित होंगे।

5. पात्र निर्यातक इकाईयों को इस योजना हेतु आर्थिक सहायता तभी अनुमन्य होगी यदि निर्यातक इकाईयों द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समान उद्देश्य हेतु संचालित किसी अन्य योजना से समान प्रकृति का पूर्ण या आंशिक लाभ न लिया गया हो।

6. राज्य द्वारा प्रायोजित/निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय मेलों/ इवेंट्स में प्रतिभाग करने वाली इकाईयों को योजनान्तर्गत दावों के भुगतान के समय प्राथमिकता दी जायेगी।

7. यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा योजनान्तर्गत अनुमन्य आर्थिक सहायता का दुरूपयोग किया गया है अथवा जानबूझ कर गलत तथ्य/विवरण प्रस्तुत किये गये है अथवा छिपाये गये हैं तो इकाई से सम्पूर्ण धनराशि राजस्य देयों की भांति वसूल की जायेगी तथा इकाई को काली सूची में डालते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार की शासकीय आर्थिक सहायता हेतु अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।

8. शासनादेश में किये गये प्राविधानों की व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण के अधिकार योजनान्तर्गत गठित प्राधिकृत समिति में निहित होंगे।

9. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

Digitally signed by
ALOK KUMAR
Date: 02-12-2025
12:08:36

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-874(1)/18-4-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ०प्र० कानपुर।
3. आयुक्त/अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4. संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ।
7. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
9. अपर आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ०प्र०।
10. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(सुनील कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

अनुलग्नक 1

ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग सहायता योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का दावा करने के लिए आवेदन पत्र

(शासनादेश संख्या-874/18-4-2025, दिनांक 03 दिसम्बर 2025)

बिन्दु **Particulars**	विवरण **Details**
निर्यातक इकाई का नाम Name of Exporting Unit	
उत्तर प्रदेश में पंजीकृत व्यावसायिक पता Registered Business Address in Uttar Pradesh	
आयातक निर्यातक कोड संख्या IEC Number	
उद्यम पंजीकरण संख्या UDYAM Registration Number	
अधिकृत डीलर (एडी) कोड/जारीकर्ता बैंक का नाम Authorized Dealer (AD) Code/ Issuing Bank Name	
निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ०प्र० सदस्यता संख्या UPEPB Membership No.	
उ०प्र० निर्यात संवर्धन परिषद, सदस्यता संख्या UPEPC Membership No.	
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का नाम Name Of the E-commerce Platform	
विवरण सहित कुल सूचीबद्ध उत्पादों की संख्या Total Products Listed with Description	
ऑनबोर्डिंग की तिथि Date of Onboarding	
प्रथम वर्ष की ऑनबोर्डिंग अवधि (-से – तक) First-Year Onboarding Period (From – To)	

पात्र प्रथम वर्ष के ऑनबोर्डिंग शुल्क का विवरण

Breakup of Eligible First-Year Onboarding Fees

क्रमांक S. No.	श्रेणी Category	भुगतान की गई राशि (₹) Amount Paid (₹)	बीजक संख्या व दिनांक Invoice No. & Date
1	एक बार का खाता पंजीकरण/सदस्यता शुल्क One-time Account Registration/ Subscription Fee		

2	प्लेटफ़ॉर्म/विक्रेता शुल्क (केवल एक बार हेतु) Platform/ Seller Fee (one time only)		
3	*प्लेटफ़ॉर्म द्वारा लगाए जाने वाले अन्य पात्र ऑनबोर्डिंग शुल्क (विवरण सहित)* *Any Other Eligible Onboarding Fee Charged by Platform (Pl. Specify)*		
4	कुल भुगतान किया गया शुल्क (करों के अतिरिक्त) Total fee paid (Exclusive of Taxes)		
5	प्रतिपूर्ति हेतु वांछित धनराशि (75% अधिकतम रू० 3.0 लाख) Reimbursement Amount Being Claimed (75% Max Rs. 3.0 Lakh)		

घोषणा:

यह विवरण निर्यात गतिविधियों के संचालन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मेरे पहले पंजीकरण से संबंधित है और दी गई जानकारी सही और सत्यापित है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम: __________

पद का नाम: __________

मुहर और दिनांक**:** __________

अनुलग्नक II

ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग सहायता योजना

शपथपत्र का प्रारूप (रूपये 10 के स्टांप पर)

मैं..................पुत्र/पुत्री/पत्नी.. प्रोपाइटर/पार्टनर/निदेशक.मे0... पता..................... ....उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र सं0.......................................आई.ई. सी. कोड.............................ई0पी0बी0 पंजीयन संख्या.................................दिनाँक..... ....सत्यापित करता हूं/करती हूंः-

1. यह कि निर्यातक इकाई द्वारा यह दावा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष..................में.................... ..बार प्रस्तुत किया गया है।
2. यह कि उक्त वर्णित इकाई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एक्ट-2006 तथा जारी अधिसूचना दिनाँक 21 मार्च 2025 में वर्णित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की परिभाषा के अन्तर्गत एक.....................श्रेणी की इकाई है।
3. यह कि निर्यातक इकाई (मर्चेंट/मैन्युफैक्चुरिंग).......................... श्रेणी के अंतर्गत हैं।
4. यह कि निर्यातक फर्म द्वारा अनुदान हेतु किये गये दावे के सापेक्ष प्रदेश अथवा भारत सरकार की किसी भी योजना से वित्तीय अनुदान/लाभ प्राप्त नही किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त समस्त सूचनाए जो मेरे द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी प्रकार के तथ्यों को छुपाया नही गया है। यदि भविष्य में यह पाया जाता है मेरे द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये हो तो मेरे विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जा सकती है।

(हस्ताक्षर)

नाम-
पदनाम-प्रोपाइटर/पार्टनर/डायरेक्टर-

पता-

मोबाईल नंबर-

अनुलग्नक – III

चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाणपत्र (आधिकारिक लेटरहेड पर)

(ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग सहायता योजना के अंतर्गत सहायता का दावा करने के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स ....पंजीकृत कार्यालय .... जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से वस्तुओं/सेवाओं के निर्यात में संलग्न है, ने वित्तीय वर्ष .... के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म .... पर पंजीकरण कराया है तथा प्रथम वर्ष की ऑनबोर्डिंग अवधि के दौरान कुल ₹................... (केवल रुपये ....) का वहन शुद्ध पात्र ऑनबोर्डिंग शुल्क (करों को छोड़कर) के रूप में किया है।

योजना के अंतर्गत सहायता की गणना

विवरण	**राशि (INR)**
कुल भुगतान किया गया शुल्क (करों के अतिरिक्त) Total fee paid (Exclusive of Taxes)	
प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्य धनराशि (75% अधिकतम रू० 3.0 लाख) Admissible Amount for Reimbursement (75% Max Rs. 3.0 Lakh)	

उपरोक्त विवरणों की पुष्टि हो चुकी है और हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों और दस्तावेजों के आधार पर, हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार वे सत्य और सही हैं। यह प्रमाणपत्र केवल उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2025-30 की ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता का दावा करने के उद्देश्य से जारी किया गया है और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

हस्ताक्षर एवं मुहर

दिनांक:

चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम

सदस्यता संख्या

स्थान